



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786  
NAVSARJAN SANSKRUTI

वर्ष : 01  
अंक : 214  
दि. 08.05.2026,  
शुक्रवार  
पाना : 04  
किंमत : 00.50 पैसा

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

## CBI के नए निदेशक पर मंथन तेज, अगले सप्ताह हो सकता है बड़ा फैसला; देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों में व्यापक फेरबदल के संकेत

नई दिल्ली। देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त होने जा रहा है और इसके साथ ही केंद्र सरकार तथा उच्च स्तरीय चयन समिति के बीच नए चेहरे को लेकर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें नए सीबीआई निदेशक के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इस नियुक्ति को केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि देश की जांच और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने वाले बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। जांचकारी के अनुसार, इस बार सीबीआई निदेशक पद की दौड़ में करीब आधा दर्जन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। इनमें केंद्रीय एजेंसियों, केंद्रीय

सशस्त्र पुलिस बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस संगठनों में लंबे अनुभव वाले अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस बार ऐसे अधिकारियों के चयन पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसे बड़े स्तर की जांच, आतंकवाद विरोधी अभियानों, संगठित अपराध और संवेदनशील मामलों के संचालन का व्यापक अनुभव हो। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए निदेशक के चयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यही समिति सीबीआई निदेशक के नाम को अंतिम मंजूरी देती है। माना जा रहा है कि बैठक में वरिष्ठता, अनुभव, प्रशासनिक रिकॉर्ड, केंद्रीय एजेंसियों में कार्य और संवेदनशील मामलों को संभालने की क्षमता जैसे कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद को मई 2023 में दो वर्ष के लिए सीबीआई



निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया। हालांकि अब मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम सेवा विस्तार की सीमा को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार एजेंसी में नए नेतृत्व के जरिए आने वाले वर्षों की जांच रणनीति को और मजबूत करना चाहती है। इस बीच जिन अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं, उनमें केंद्रीय सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों में कार्यरत कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी जो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के प्रमुख पद पर कार्यरत हैं, उन्हें प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। नक्सल विरोधी अभियानों, आंतरिक सुरक्षा और

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी भूमिका को लेकर सरकार के भीतर सकारात्मक राय बताई जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें मजबूत समर्थन मिलने की चर्चा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), खुफिया इकाइयों और राज्य पुलिस संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। इनमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें बड़े आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों, हाई-प्रोफाइल जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने का अनुभव रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस बार ऐसे अधिकारी को प्राथमिकता दे सकती है, जो तकनीकी जांच, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से जुड़े मामलों को भी प्रभावी ढंग से संभाल सके। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के साथ-साथ देश की अन्य प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में भी बड़े स्तर पर

बदलाव की संभावना बताई जा रही है। खुफिया ब्यूरो (IB) के वर्तमान प्रमुख का कार्यकाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें पिछले वर्ष सेवा विस्तार दिया गया था और अब यह संभावना बताई जा रही है कि सीमावर्ती सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें एक और विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी आने वाले समय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यदि सीआरपीएफ प्रमुख को किसी नई जिम्मेदारी में स्थानांतरित किया जाता है, तो वरिष्ठ स्तर के अन्य अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और अन्य केंद्रीय बलों में भी नेतृत्व स्तर पर बदलाव की संभावनाएं

जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय देश की जांच और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सीबीआई जैसे संस्थान के नेतृत्व का प्रभाव केवल एजेंसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरे देश की कानून व्यवस्था और जांच प्रणाली पर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार इस नियुक्ति को बेहद संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टि से देख रही है। राजनीतिक हलकों में भी इस नियुक्ति को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। विपक्ष की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और संतुलित रहती है, जबकि सरकार इस पद के लिए अनुभवी और सक्षम अधिकारी के चयन को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शीर्ष

स्तर पर कई दौर की चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद अंतिम नाम पर सहमति बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार आने वाले वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों को और अधिक तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जांच, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय और हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधों की निगरानी को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में नए सीबीआई निदेशक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हलकों की नजर अगले सप्ताह होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद केवल सीबीआई ही नहीं, बल्कि देश की कई प्रमुख सुरक्षा और जांच एजेंसियों के नेतृत्व को लेकर भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।

## दिल्ली फ्लाइट में महुआ मोड़रा का आरोप, विमान में बदसलूकी और वीडियो बनाने का दावा; एयरलाइन से सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की तेजतर्र सांसद महुआ मोड़रा ने एक निजी विमान सेवा को दिल्ली जा रही उड़ान में अपने साथ कथित बदसलूकी और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक और विमानन क्षेत्र में बलबलौदा पैदा कर दी है। सांसद ने इस पूरी घटना को केवल असहज व्यवहार नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा का सीधा उल्लंघन बताते हुए एयरलाइन कंपनी और केंद्र सरकार से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। महुआ मोड़रा ने अपने बयान में बताया कि वह सांसद की रक्षा मामलों से जुड़ी स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थीं। उनके अनुसार उन्होंने विमान में पहली पंक्ति की निर्धारित सीट पर यात्रा शुरू की थी। उड़ान के दौरान कुछ यात्री बाद में विमान में सवार हुए, जिनके व्यवहार ने उन्हें असहज महसूस कराया। सांसद का आरोप है कि इन यात्रियों का एक समूह, जिसमें चार से छह लोग शामिल थे, लगातार उनकी ओर घृणा और विमान के भीतर अस्मान्य व्यवहार करता रहा। उनके अनुसार, कुछ समय बाद वे यात्री विमान के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए, लेकिन उनका व्यवहार सामान्य नहीं रहा और वे लगातार सदिष्ट गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिए। महुआ मोड़रा ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनका ध्यान उन लोगों के व्यवहार




पर केंद्रित रहा, जिससे उन्हें मानसिक रूप से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे गंभीर आरोप उन्होंने यह लगाया कि विमान के दिल्ली पहुंचने और दरवाजा खुलने से ठीक पहले उन लोगों ने उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया और उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया। सांसद ने इसे केवल अस्मान्य व्यवहार नहीं बल्कि एक संगठित और जानबूझकर की गई हरकत बताया, जिससे उनकी निजी सुरक्षा और गरिमा प्रभावित हुई। महुआ मोड़रा ने कहा कि विमान जैसे सीमित और नियंत्रित वातावरण में इस तरह की घटना यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद यदि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो आम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। उन्होंने विमान सेवा कंपनी से मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाए। उनके अनुसार, फ्लाइट के चालक दल की रिपोर्ट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और यात्रियों के इस सूची की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन यात्रियों पर आरोप लगे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें भविष्य में हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जाए। सांसद ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि विमानन क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार

की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए जांच की मांग की है, जबकि कुछ नेताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। वहीं विमान सेवा कंपनी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केबिन कू की रिपोर्ट और फ्लाइट रिकॉर्डिंग की होती है, जो वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच और एयरलाइन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह मामला वास्तव में सुरक्षा चूक था, यात्री विवाद था या फिर किसी अन्य परिस्थितियों का परिणाम।

## अनिल अंबानी का एनडीटीवी पर मानहानि मुकदमा, गलत रिपोर्टिंग का आरोप; दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी ने मीडिया समूह एनडीटीवी और उससे जुड़े वरिष्ठ संपादकीय अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला उनके कारोबारी समूह से जुड़ी जांच एजेंसियों की कार्रवाईयों की कथित गलत और भ्रामक रिपोर्टिंग को लेकर सामने आया है। याचिका में अनिल अंबानी ने दावा किया है कि मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित और प्रसारित सामग्री ने उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अनिल अंबानी द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनडीटीवी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी कार्रवाईयों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया, जिससे दर्शकों और आम जनता के बीच उनके खिलाफ नकारात्मक धारणा बनी। याचिका में यह भी कहा गया है कि रिपोर्टिंग में तथ्यों की बजाय पूर्वाग्रह और एक्टरता दृष्टिकोण अधिक दिखाई देता है, जिससे उनके कारोबारी समूह की साख प्रभावित हुई है। मुकदमे में अनिल अंबानी ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि संबंधित



मीडिया समूह के कुछ लोग उनकी कल्पित कार्य के लिए दान कर देंगे। इस कोशिश कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से लगातार नकारात्मक खबरों का प्रसार किया जा रहा है। उनके अनुसार, पिछले कुछ महीनों में उनके खिलाफ कई तीखे और आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किए गए, जिनका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। याचिका में अनिल अंबानी ने दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यदि उन्हें यह राशि प्रदान की जाती

संपादक राहुल कनवाल, प्रबंध संपादक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अदालत ने सभी पक्षों को आगामी सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है, जब दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। अदालत यह भी तय करेगी कि क्या इस मामले में अंतरिम राहत की आवश्यकता है या नहीं। इस घटनाक्रम के बाद मीडिया और कॉर्पोरेट जगत में भी चर्चा तेज हो गई है। मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला एक बार फिर प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदार पत्रकारिता के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दे सकता है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मानहानि मामलों में अदालत तथ्यों, रिपोर्टिंग के स्रोत और मंशा की गहन जांच करती है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले ने कॉर्पोरेट और मीडिया संबंधों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही इस विवाद की दिशा तय करेगी।

## केरल में सत्ता वापसी के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान, तीन दिग्गज नेताओं के बीच बड़ी खींचतान

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सत्ता में वापसी ने कांग्रेस खेमे में उत्साह भर दिया है, वहीं अब मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन सरकार गठन से पहले ही शीर्ष पद को लेकर मंचे सियासती संघर्ष ने नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस चुनाव में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसकी सहयोगी इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) के साथ मिलकर संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने कुल 102 सीटें हासिल की हैं। इस मजबूत जनादेश के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इस समय तीन प्रमुख नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल तथा अनुभवी नेता रमेश चैन्निथला शामिल हैं। तीनों ही नेताओं का अपना-अपना मजबूत राजनीतिक आधार है और समर्थकों के बीच उनका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।



पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी गुट में असंतोष न बढ़े। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग-अलग दिख रही है, जहां समर्थक खुलकर अपने-अपने नेताओं के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अलाप्पुझा जिले में के. सी. वेणुगोपाल के खिलाफ कुछ पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। इन पोस्टरों में उपचुनाव की संभावित स्थिति का जिक्र करते हुए उन्हें ऐसे किसी कदम से बचने की सलाह दी गई है, जिससे घटने की सलाह दी गई है, जहां समर्थक के भीतर अस्थिरता पैदा हो। हालांकि दूसरी ओर वेणुगोपाल के समर्थकों ने भी पोस्टर लगाकर उन्हें निर्णायक और मजबूत नेतृत्व क्षमता वाला नेता बताया है। इसी तरह वी. डी. सतीशन के समर्थकों ने नेट्टूर में प्रदर्शन कर

के बावजूद दूसरे गुटों में असंतोष न पैदा हो। केरल कांग्रेस का इतिहास गुटिय राजनीति से जुड़ा रहा है, ऐसे में यह निर्णय पार्टी की भविष्य की एकता और स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति कांग्रेस के लिए "जीत के बाद की सबसे बड़ी परीक्षा" है। चुनावी सफलता के बावजूद यदि नेतृत्व चयन पर सहमति नहीं बनती, तो इसका असर आने वाले शासन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पार्टी के भीतर लगातार बैठकों और अनौपचारिक चर्चाओं का दौर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस हाईकमान इस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। तब तक केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर यह खींचतान और तेज होने की संभावना है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने दूसरी बार दुकुराया धलपति विजय का दावा



नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber Jio tv+ Jio Fiber Daily Hunt ebaba Tv Dish Plus DTH live OTT Rock TV Airtel Amezone Fire Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



# प्रेम जाल, फर्जी पहचान और सरहद पार की साजिश, बांग्लादेशी युवक ने नाबालिग को बनाया निशाना; प्रयागराज से दबोचा गया आरोपी

झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले में नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और उसे प्रेम जाल में फंसाकर बांग्लादेश ले जाने की साजिश का समसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है, जो ट्रस्टिस्ट वीजा पर भारत आया था और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी फर्जी पहचान के सहारे देश में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार, 2 मई 2026 को झालारामपार थाने में एक परिवार ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवारों ने आशंका जताई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर किसी युवक ने अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को

## बूंदी में ACB की बड़ी कार्रवाई, 25 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार; पंचायत में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश

बूंदी (राजस्थान)। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कोटा स्पेशल यूनिट ने बूंदी जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। केशोरायपाटन पंचायत समिति की सखावदा ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सतवीर सिंह कुमावत को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पंचायत प्रशासन में हड़कंप मच गया है और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों के भुगतान से जुड़ा हुआ है। परिवारों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सखावदा गांव में नाली निर्माण, सफाई व्यवस्था सुधार और अन्य बुनियादी विकास कार्य करवाये थे। इन कार्यों के एवज में लगभग डेढ़ लाख रुपये के बिल पंचायत समिति में लंबित थे। आरोप है कि सभी कार्य पूर्ण होने और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी भुगतान जारी करने के लिए लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी केवल पुराने बिलों के



भुगतान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन न डालने और योजनाओं को सुचारू रूप से पास करने के बदले भी अवैध धन की मांग कर रहा था। लगातार दबाव और परेशान किए जाने से तंग आकर पीड़ित ने मामले की शिकायत ACB को कार्यालय में दर्ज कराई। 5 मई 2026 को दर्ज इस शिकायत के बाद ACB ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर ट्रेप ऑपरेशन की तैयारी की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अधिकारी का व्यवहार पहले भी संदिग्ध रहा है और स्थानीय स्तर पर उसकी कार्यशैली को लेकर कई तरह

लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ में उसकी कहानी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बाद में उसने स्वीकार किया कि वह मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है और उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रखे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वर्ष 2024 में ट्रस्टिस्ट वीजा पर भारत आया था। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसने स्थानीय स्तर पर फर्जी पहचान पर और अन्य दस्तावेज बनवाकर अपनी पहचान बदल ली थी, ताकि उसकी वास्तविक नागरिकता सामने न आ सके। आरोपी लगातार अपना निवास गया और नाबालिग लड़की को सुरक्षित दस्तयाव कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले अपना नाम आदित्य उर्फ बादल विश्वास बताया और खुद को झालावाड़ के सलोतिया क्षेत्र का निवासी बताया।



## मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, गुटखा माफिया पर शिकंजा; मिलावटी दूध गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों का अवैध माल जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अप्रैल 2026 में राज्यभर में एक व्यापक और सख्त अभियान चलाते हुए अवैध गुटखा कारोबार और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान ने न केवल अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता को भी उजागर किया है। पूरे राज्य में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 290 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इन छापों में प्रतिबंधित गुटखा, पान जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से होती रहे तो पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और संबंधित पंचायत में चल रहे अन्य विकास कार्यों की फाइलों की भी जांच शुरू होने की संभावना है। ACB की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई में एफडीए का बड़ा एक्शन, गुटखा माफिया पर शिकंजा; मिलावटी दूध गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों का अवैध माल जब्त




कर रहे थे। इन गिरोहों के जरिए प्रतिबंधित उत्पादों की अवैध बिक्री और बिक्री की जा रही थी। प्रशासन ने इस पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए अब तक 288 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं विभिन्न पुलिस थानों में इस मामले से जुड़े 261 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य केवल अवैध माल की जल्दी नहीं था, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना भी था। छापेमारी के दौरान कई गोदाम, छोटे निर्माण यूनिट और अवैध पैकिंग सेंटर भी पकड़े गए हैं, जहां बिना अनुमति के इन उत्पादों का निर्माण और डी-पैकिंग की जा रही थी। इसी अभियान के दौरान एफडीए और मुंबई क्राइम ब्रांच ने मिलकर वर्सोवा इलाके में एक बड़े दूध मिलावट रैकेट का भी

पदाफाश किया है। 9 अप्रैल की सुबह कई संयुक्त बल बल्कि आसपास के इलाकों तक फैला हुआ हो सकता है। जांच एजेंसियों अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वितरण चैनलों की भी जांच कर रही हैं। राज्य प्रशासन का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। विशेष रूप से गुटखा और मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर अवैध कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में और भी छापेमारी और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर, मुंबई और महाराष्ट्र में लागू 621 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर तुरंत नष्ट कर दिया गया। जब्त किए गए दूध की कीमत लगभग 36 हजार रुपये के आसपास बताई गई है। साथ ही जांच के लिए आठ सैप्ट प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की

कार्रवाई की जाएगी। एफडीए अधिकारियों के अनुसार यह मिलावट सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय था और यह केवल मुंबई तक सीमित नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तक फैला हुआ हो सकता है। जांच एजेंसियों अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और वितरण चैनलों की भी जांच कर रही हैं। राज्य प्रशासन का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। विशेष रूप से गुटखा और मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर अवैध कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में और भी छापेमारी और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर, मुंबई और महाराष्ट्र में लागू 621 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर तुरंत नष्ट कर दिया गया। जब्त किए गए दूध की कीमत लगभग 36 हजार रुपये के आसपास बताई गई है। साथ ही जांच के लिए आठ सैप्ट प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की

## निजीकरण और महंगी शिक्षा ने गरीबों का शिक्षा पर से भरोसा हिला दिया है : छगनलाल मेवाड़ा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत में गरीबों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होने का कारण नीतिगत असमानताएं हैं। एक ओर सरकारी संस्थानों का बजट कम कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षा की उच्च लागत और कॉचिंग केंद्रों की महंगी फीस गरीब परिवारों के लिए बर्हनीय नहीं है। इसके अलावा, सामाजिक स्थिरता के साधन के लिए शिक्षा पर उनका विश्वास भी डगमगा रहा है। आइए नेहरू युग को याद करें। नेहरू के समय में, भारत के गरीब लोग एक सरल क्रॉनिकल विचार में विश्वास रखते थे, शिक्षा को सामाजिक असमानता का एक



बड़ा कारण मानते थे। "पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे" (शिक्षा जाति, गरीबी और जन्मजात प्रस्ताव को अस्थायी रूप से रोक दिया कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बहुमत का स्पष्ट और औपचारिक प्रमाण आवश्यक है। बताया जा रहा है कि यह दूसरी बार है जब सरकार गठन के प्रस्ताव को राज्यपाल की ओर से स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इस रुख के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ गया है।

दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप, भारत के गरीब और वंचित लोगों का शिक्षा पर विश्वास डगमगा रहा है। दो दशक पहले शिक्षा के निजीकरण का

जो दायरा बढ़ा था, उसे भाजपा के 12 वर्षों के शासनकाल में जानबूझकर और तेज कर दिया गया। रणनीति इस तरह बनाई गई कि शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई। एक निश्चित वेतन के साथ शिक्षा की अत्यधिक लागत आज लोगों को और गरीब बना रही है। उच्च शिक्षा में निजी पूंजी का प्रवेश 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और 2000 के दशक तक इसने गति पकड़ ली। यह अनुमान लगाया गया था कि निजी पूंजी के प्रवाह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन पिछले तीन दशकों में यह अनुमान पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण साबित हुआ है।

## बंगाल में तख्तापलट के बाद हिंसा भड़क उठी, जिससे लोकतंत्र और शांति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और बंगाल के इतिहास में कभी सत्ता हासिल न कर पाए वाली पार्टी को सत्ता मिल गई। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि इस पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता और नेता जीत से उत्साहित थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस जीत को पचा नहीं पाए। विजयी भाजपा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्मादपूर्ण तरीके से जीत का जश्न मनाने के कारण पूरा बंगाल हिंसा की आग में जल उठा है। इसी वजह से बंगाल हो या कोई और राज्य, सभ्य और सूरसंस्कृत समान भय, चिंता और बेचैनी की लहर से जूझ रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है कि अब बंगाल का क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे मध्य युग में



किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद आक्रमणकारी सेनाएं वहाँ तबाही मचा देती थीं और व्यापक विनाश के निशान छोड़ जाती थीं, ठीक उसी तरह विजयी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता

और इस अवसर का लाभ उठाने वाले अपराधी और हिंसक तत्व हिंसा का नमन नृत्य कर रहे हैं। इस देश में कई चुनाव हुए हैं और होते रहेंगे, इसलिए चुनावों में जीत और हार तो हमेशा होती

रहती है। आज एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी आ सकती है। यही सच्ची लोकतंत्र है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और बंगाल के इतिहास में शुरू हुई हिंसा बंगाल की अनुरी पहचान, संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरा बन गई है। इस प्रकार, अपनी जीत को पचा न पाने वाले उन्मादी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दंगा करने वाले तत्वों के साथ मिलकर बंगाल को अराजकता के भंवर में धकेल दिया है। यदि केंद्र सरकार बंगाल में स्थिति को नियंत्रित करने और हिंसा का आग बुझाने के बजाय इस ओर ध्यान नहीं देती है, तो निरसंदेह बंगाल एक और गंभीरपूर बन जाएगा। और यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो यह लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक होगा।

# तमिलनाडु की सियासत में बड़ा टकराव, विजय के शपथ ग्रहण पर राजभवन का 'ना'; विपक्षी दलों का एकजुट मोर्चा

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय अभूतपूर्व सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए थलापति विजय की मुख्यमंत्री बनने की राह राजभवन के रुख के कारण फिलहाल थम गई है। तमिलनाडु के प्रमुख विजय ने कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ सरकार गठन का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलैंकर ने उन्हें तत्काल शपथ दिलाते से इनकार कर दिया। राजभवन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि पहले 118 विधायकों के समर्थन का औपचारिक और प्रमाणित पत्र प्रस्तुत किया जाए, तभी सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी निर्णय ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, विजय राज्यपाल से

मिलने लोक भवन पहुंचे थे और उन्होंने समर्थन पत्र के अभाव में सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन राज्यपाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री बनने की राह राजभवन के रुख के कारण फिलहाल थम गई है। तमिलनाडु के प्रमुख विजय ने कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ सरकार गठन का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलैंकर ने उन्हें तत्काल शपथ दिलाते से इनकार कर दिया। राजभवन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि पहले 118 विधायकों के समर्थन का औपचारिक और प्रमाणित पत्र प्रस्तुत किया जाए, तभी सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी निर्णय ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, विजय राज्यपाल से



कांग्रेस के समर्थन के बाद गठबंधन के पास फिलहाल 113 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से पांच सीटें कम हैं। यही कारण है कि सरकार गठन की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चितता में फंसी हुई है। राजभवन के इस रुख के बाद राज्य की

राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब लंबे समय से एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, जो दल एक साथ खड़े नजर आने लगे। डीएमके, वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मक्कल निधि मध्यम जैसे दलों ने राज्यपाल के निर्णय का खुलकर

विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार गठन की प्रक्रिया विधानसभा के भीतर तय होती है, न कि राजभवन में बहुमत के कागजात की शर्त पर। विपक्षी दलों ने इसे जनतादेश और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। वीसीके प्रमुख थोला विश्वामालवन ने कहा कि यदि किसी गठबंधन को पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, तो उसे सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं डीएमके नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का यह रुख राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित प्रतीत होता है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अतिक्रमण है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसी स्वर में कहा कि संविधान की भावना यह है कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, न कि पहले राजभवन में। इस पूरे विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति

को एक असामान्य स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां विचारधारात्मक रूप से विपरीत दल भी एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति राज्य में एक बड़े संवैधानिक बहस को जन्म दे सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। इस घटनाक्रम ने एक पुरानी राजनीतिक बहस को भी फिर से हवा दे दी है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका और उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में राज्यपाल का रुख अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिखाई देता है, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया की एकरूपता पर सवाल उठते हैं। इस संदर्भ में 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी

राजनीतिक हलकों में चर्चा में है, जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सरकार गठन का अवसर दिया गया था, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास सरकार गठन की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है और राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और रणनीति का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस और टीवीके गठबंधन बहुमत जुटाने के लिए एक समीकरणों की तलाश में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ आंदोलनात्मक रुख अपनाते की तैयारी में हैं। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की यह स्थिति आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या टीवीके नेतृत्व बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगा या फिर यह मामला एक लंबे संवैधानिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेगा।

इस मुद्दे ने अब केवल तमिलनाडु की राजनीति तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। फिलहाल राज्यपाल के रुख के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है और राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और रणनीति का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस और टीवीके गठबंधन बहुमत जुटाने के लिए एक समीकरणों की तलाश में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ आंदोलनात्मक रुख अपनाते की तैयारी में हैं। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की यह स्थिति आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या टीवीके नेतृत्व बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगा या फिर यह मामला एक लंबे संवैधानिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेगा।

